कार्यालय मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मीरजापुर

निर्माण हेतु अनुज्ञा-पत्र

श्री/श्रीमती कुंज बिहारी लाल रियल्टी प्रा०लि० बजरिये

पुत्र/पत्नी/श्री विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाल,

निवासी बरौंधा कन्दर मीरजापुर

अनुज्ञा पत्र सं० 10/2015 –2016 दिनांक 20.01.16

उपर्युक्त वर्णित व्यक्ति को प्लाट नं० – मकान नं० – वार्ड नं० – आराजी नं० 129, 132 व 135, 572 आंशिक मोहल्ला बरौंधा कन्दर के स्वीकृत नक्शे में दिखाये गये निर्माण के निष्पादन की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ दी जाती है।

1. यह अनुमति निर्माणकर्ता कार्य विनियमन अधिनियम 1958 (रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग आपरेशन ऐक्ट 1958 की धारा- 7 की उप धारा-2 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। इससे न तो किसी को सम्पत्ति का अधिकार मिलता है न ही कोई अधिकार अथवा नियोंज्ञता समाप्त होते हैं, न तो विधि विवन्त (स्टापेल) अथवा एडमिशन प्रभाव होता है, सम्पत्ति के अधिकार को प्रभावित करता है। और न कोई अन्य वैधानिक प्रभाव होता है।
2. प्रदान की गयी स्वीकृत, यह समाधान हो जाने पर की प्रार्थी द्वारा दिये गये विवरण तथा नक्शे भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित है, सचिव द्वारा किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
3. नालियों के ऊपर सीढ़ियों का प्रोजेक्शन या आरकेड, बालकनी, छज्जा, कार्निस प्रकार के कोई भी प्रोजेक्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, भले ही यह स्वीकृत नक्शों में दिखाये गये हो। प्रोजेक्शन के लिए अलग से नक्शा दाखिल करना तथा अधिकारी की स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. स्वीकृत नक्शे में दिखाई गई कुर्सी की ऊँचाई सड़क की मध्य सतह से गणना की जायेगी सीढ़ियों का निर्माण निर्माणकर्ता की अपनी भूमि पर होना चाहिए। यदि सड़क तैयार नहीं है तो निर्माणकर्ता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सड़क को सतह निर्धारित हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
5. पार्श्ववर्ती नक्शे में दिखाये गये कुर्सी की ओर दरवाजे अथवा निकास रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। उसी प्रकार नक्शे में दिखाये गये दरवाजे या निकास सड़क या ऐसी भूमि की ओर रखने की अनुमति नहीं दी जाती है जिस पर मकान मालिक का अधिकार न हो।
6. दिवाले और छत पक्की होनी चाहिए और भवन के किसी भाग में ज्वलनशील पदार्थ नहीं चुने जाने चाहिए तथा नींव मजबूत रखनी चाहिए। ताकि उपरी ढाँचे का सहारा रहे यदि स्वीकृत नक्शे में उल्लेख हो तो पनालेदार लोहे के सन्देश कमरे या दुकान के सामने इस प्रतिबन्ध के साथ लगाये जा सकते है की वह दरवाजे या खिड़की के ऊपर ब्रेकेट से स्थिर कर दिये जाये और उनसे सड़क या ऐसी भूमि जिस पर मकान का स्वामित्व ना हो पर किसी प्रकार प्रेक्षण (प्रोजेक्शन) हो।
7. निर्माण कार्य के दरम्यान सड़क की नालियों को लोहे की चादर या लकड़ी तख्तों से ढक देनी चाहिए ताकि नालियां अवरुद्ध (न हों।
8. टट्टीयों का निर्माण उसी प्रकार से किया जाना चाहिए जैसा कि स्वीकृत नक्शे में दिखाया गया है और उनका स्पेशीफिकेशन बाईलॉज में प्रविधान के अनुसार होना चाहिए।
9. बिना स्वीकृति प्राप्त किये कोई निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य करते समय यदि किसी रद्दो बदल की आवश्यकता प्रतीत होती है तो उसके लिए सचिव की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
10. यह अनुमति किसी निर्माण-कर्ता या उसके अधिकर्ता को सड़क के किसी भाग या सार्वजनिक भूमि पर डाड़ बाँधने या बिजली के तारों के नजदीक निर्माण करने का अधिकार नहीं देती हैं। जब तक कि बिजली के तार सुरक्षित स्थान तक हटा न दिये गये हों। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद से अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए तथा निर्धारित शुल्क राज्य विद्युत परिषद में जमा कर दिया जाना चाहिए।
11. भू स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने पर जोखिम आवेदनकर्ता की होगी तथा जिस पर उसका स्वत्व साबित नहीं होगा/उस पर बना निर्माण धराशायी कर दिया जायेगा।
12. यह अनुज्ञा दिनांक 19.01.2021 तक वैध है यदि आपको ऐसा लगे कि इस अवधि में आपका निर्माण कार्य पूरा न हो सकेगा तो आप इस तिथि से 2 माह पूर्व नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
13. सड़क के मध्य से दिखाये गये भूखण्ड दूरी के अनुसार ही निर्माण करना होगा यदि पक्षगण रोड की निर्दिष्ट चौड़ाई पर कोई निर्माण करता है तो पक्ष स्वयं जिम्मेदार होगा। उस पर बना निर्माण बिना नोटिस धराशायी कर दिया जायेगा।

संलग्न :- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति।

20-01-16

सचिव

मीरजापुर विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मीरजापुर